

आदेश

रीवा, दिनांक 25.08.2023

क्रमांक/मा.चि./2023/184 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-1194/191/2022 /नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैद्वन के वन कक्ष क्रमांक आरएफ-271, 272, 273, 274 प्रभावित वन भूमि रकबा 229.348 हे. के बदले पूर्व में 500 हे. रोपण क्षेत्र की जारी तकनीकी स्वीकृत आदेश क्रमांक/मा.चि./32 दिनांक 20.01.2022 को निरस्त करते हुए प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/840 /2023/10-11/3591 दिनांक 10.08.2023 से दिये गये निर्देशानुसार वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली के पत्र क्रमांक/व्यय/4314 दिनांक 21.08.2023, 4355 दिनांक 22.08.2023 से 500 हे. में तैयार की गई संशोधित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की संशोधित तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

परियोजना/मद का नाम	कार्य विवरण	परिक्षेत्र	कार्य स्थल	कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में	कुल प्रस्तावित राशि रु. में
वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैद्वन के वन कक्ष आरएफ-272, 273 और 274 के रकबा 229.348 हे. वन भूमि में निगाही विस्तार परियोजना में ओपन कास्ट कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन का - एन.सी.एल. का ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/140863/2021	क्षतिपूर्ति वनीकरण	कर्छुआ माड़ा	बहेरी	RF-811	46.00	16687678.00
			हराहवा	PF-420	40.00	18731914.00
			सिद्धी	RF-424	40.00	18732259.00
			धनगढ़	RF-557	24.00	12070895.00
			धनगढ़	RF-553	60.00	27424607.00
			धनगढ़	RF-554	50.00	25167325.00
			धनगढ़	RF-570	59.00	29260523.00
		गोरबी	बगैया	PF-168	13.00	7674561.00
			अजगुढ़	PF-176	45.00	13386685.00
			सिंधार	PF-152	53.00	16534541.00
		बरगवां	मकरी	RF-246	20.00	8605327.00
		प0सरई	बंजारी	RF-662	50.00	24171264.00
				योग	500.00	218447579.00

शर्तें-

- सभी क्षतिपूर्ति वनीकरण रोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में कराई जावे।
- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक की दर से मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है, तो अन्तर की राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।
- सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन अनिवार्य हो।

(राजेश कुमार राय)

भा.प्र.से

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

रीवा, दिनांक 25.08.2023

पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/6216

प्रतिलिपि- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.